



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 38-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 6, 2018 (PHALGUNA 15, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 6th March, 2018

No. 05-HLA of 2018/6/3651.— The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 05- HLA of 2018

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2018

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|--|---|
| <p>1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2018.</p> <p>2. In the Schedule to the Haryana Private Universities Act, 2006, after serial number 21 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-</p> <p style="padding-left: 40px;">“22 IILM University Gurugram”.</p> | <p>Short title.</p> <p>Amendment of Schedule to Haryana Act 32 of 2006.</p> |
|--|---|

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for creation and expansion of educational institutions for improving opportunities of higher education for the youth of the State. In order to accommodate the unprecedented growth of students in higher education, and also to cross the target of 30% gross enrolment ratio (GER), we need to roughly double the number of institutions at all levels by 2020. The government intervention would not be adequate to meet this benchmark in higher education. We need to enlist the participation of private sector in a major way. Haryana Private Universities Act, 2006 has been brought essentially to rope in private sector to supplement the initiative of Government in expanding the capacity in higher education and upscaling its standards.

To achieve the objectives enshrined in the Act, proposal has been formulated for setting up of IILM University, Gurugram.

Hence, this Bill.

RAM BILAS SHARMA,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 6th March, 2018.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 5-एच०एल०ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, की अनुसूची में, क्रम संख्या 21 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:- 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन।
"22 आई०आई०एल०एम० विश्वविद्यालय गुरुग्राम"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने की व्यवस्था में और 30% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए हमें सभी स्तरों पर वर्ष 2020 तक संस्थाओं की संख्या में मोटे तौर पर दोहरी वृद्धि करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा। हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रमुख रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को अनिवार्यतः लाया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिला गुरुग्राम में आई0आई0एल0एम0 विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है।

राम बिलास शर्मा,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 6 मार्च, 2018.

आर० के० नांदल,
सचिव।